www.jawabdosarkar.com

# मंत्रीजी का कुत्ता ढूंढने वाली पुलिस क्या किसी गरीब का बच्चा नहीं ढूंढ सकती है ?

## जवाब दीजिये डी.जी.पी.साहब!!!

**40 दिन से अगवा किया गया 12 साल का सचिन क्या इस जन्म में अपने परिवार से मिल पायेगा??**

कृपया शेयर करें और डी.जी.पी.साहब को यह याचिका ई-मेल करें:-

**dgp-rj@nic.in**

देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

# जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरैंस संख्या –2019/BPY/01

E-Newsletter, Issued in Public Interest

मंगलवार, 19 मार्च 2019

## मेरा सचिन कब घर आएगा??

12 साल का सचिन,अपने गरीब माँ-बाप की चिंताओं से बेफिक्र अपने दोस्तों के साथ खेलने में मस्त था,परन्तु उसको क्या मालुम कि उस पर बच्चा चोर गिरोह की गिद्ध नजर पड़ चुकी है|दिनांक 09/02/2019 को सचिन अपने दो दोस्तों के साथ घर के सामने वाले मैदान में खेल रहा था,परन्तु अचानक ही गायब हो गया|उसके साथ वाले बच्चे अपने घर चले गए |परन्तु रात 8 बजे जब सचिन के पिता त्रिलोक घर आये और अपनी पत्नी और बच्चों से सचिन के बारे में पूछा,जब उन्होंने उसके घर पर नहीं होने की बात कही तो सचिन का पिता उसकी तलाश में निकल पडा,आस-पास,रिश्तेदारों,दोस्तों के घर भटकने पर भी उसे सचिन का कोई सुराख नहीं मिला|उसके साथ खेलने वाले बच्चों से पूछ-ताछ करने पर उन्होंने बताया कि वह तो खेलते खेलते अचानक गायब हो गया|

अगले दिन वह सचिन को देखने एस.एम.एस. होस्पिटल पहुचा परन्तु वह वहा भी नहीं मिला|,उसने अपनी पत्नी और बहन पुष्पा को थाने भेजा परन्तु थाने वालों ने रविवार को काम नहीं करने का बहाना बना कर उसे अगले दिन आने को कहा|अगले दिन उस पर रिश्वत के 6 हजार देने पर ऍफ़.आई.आर.दर्ज करने का दबाव बनाया|त्रिलोक के अपने गरीब होने का हवाला देने पर थाने वाले उसे टरकाते रहे और गरीब त्रिलोक अपने बेटे की आस में अगले 5 दिन थाने के चक्कर लगाता रहा परन्तु थाने वालों ने उसकी एक नहीं सुनी,थक हार कर 15 फ़रवरी को कलेक्टर कार्यालय पहुचा जहाँ पर गरिमा हेल्पलाईन की सहयोगी ने उसे चाईल्ड हेल्पलाईन पर बात करने को कहा,जिसके फलस्वरूप दीपक नामक व्यक्ति ने उसकी मदद करते हुए आमेर थाने में भा.द.स. की धारा 363 के तहत सचिन के अगवा करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई|

### गरीब परिवार,अपाहिज पिता,विमंदित माँ

सचिन को शायद भगवान् ने सभी दुःख देखने के लिए इस धरती पर भेजा था|उसके परिवार में उसके माता-पिता के अलावा दो छोटी बहने भी है|उसके पिता त्रिलोक विकलांग है और एस.एम.एस. हॉस्पिटल के बाहर पर्स,रुमाल, बेचकर रोज की दिहाडी के नाम पर 100-150 रूपये बचा कर घर पहुचते है,जहाँ पर उनकी विमंदित पत्नी और तीन बच्चे उसका इन्तजार करते रहते है|सचिन का मन भी पढने में नहीं लगने से उसके पिता उसको अपने साथ थडी पर ले जाते थेजहाँ पर वह अपने पिता का काम में हाथ बटाता था|पर उस मनहूस दिन उसका मन नहीं होने से वह उसको नहीं ले गए|

### दर-दर भटक रहा है अपाहिज त्रिलोक

अपने बेटे की आस में विकलांग त्रिलोक चंद दर-दर की ठोकरे खाकर अपने बेटे की तलाश कर रहा है|किसी के यह कहने पर कि उसका बेटा अजमेर है तो वह अजमेर जाकर गली-गली अपने नन्हे बच्चे को तलाशने लगा,किसी ने कहा कि वह खाटूश्यामजी के मेले में हो सकता है तो वह रातोंरात वहा भागा और अपने बेटे को तलाश करने लगा|पर बेटा वहां होवे तो उसे मिलता|

पिछले 40 दिनों से रो-रो कर अब उसके आंसू भी सुख चुके है और अधिक पूछने पर अपनी सूनी और खामोश आखों से अपने हालात और दिल का दर्द बताने की कोशिश करता है|थोड़ी थोड़ी देर में एक टक निहारते हुए,उसकी आखों के सामने वह ख़ुशी के दिन याद आ जाते है जब वह और उसका पूरा परिवार सीमित साधनों के बावजूद छोटे छोटे मौकों को हँसते खिलखिलाते एक साथ जीने की कोशिश करते थे|

सचिन का पिता त्रिलोक चंद

## सचिन को अगवा करने में बच्चा चोर गिरोह का हाथ

इस पुरे मामले में शक की सुई ******नाम की एक मुस्लिम महिला पर जाती है क्यूंकि घटना के 10-12 दिन बाद यह महिला त्रिलोक के घर आई और दस हजार देने के बदले तीन दिन में सचिन को लौटाने की बात कही|

जब त्रिलोक ने पैसे देने में असमर्थता बताई तो यह महिला त्रिलोक की बहन पुष्पा के घर पहुँच गयी जहाँ पर त्रिलोक ने अपनी एक बेटी को छोड़ रखा था|यह महिला इस बच्ची का भी अपहरण करने की फिराक में थी,जिसे परिवार ने सूझबुझ के कारण विफल कर दिया|इस पर त्रिलोक ने उसे 15 हजार तक देने की बात कही और उसका और उसके परिवार का पिछा छोड़ने को कहा, परन्तु महिला को शक हो जाने से अब यह महिला गायब है|

## मानव तस्करी का है मामला|

जयपुर में ऐसे कई इलाके है जहाँ पर बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती है ,राम गंज,भट्टा बस्ती,शास्त्री नगर जैसे कई इलाकों में चूड़ी,आरी-तारी के कामों में बच्चों से जबरन काम करवाया जाता है|ऐसा नहीं है कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है परन्तु साल में इक्के दुक्के मामलों में धर-पकड़ कर वह इस संगीन मामले से अपना पल्ला झाड लेती है|

## महज 4 दिन में मंत्री राजेन्द्र राठोड का कुत्ता ढूंढ निकाला था पुलिस ने

गत सरकार में मंत्री रहे राजेन्द्र राठौड़ के विदेशी नस्ल का कुत्ता चार्ली भी गायब हो गया था,जिसे ढूंढने में पुलिस का सारा जाब्ता लग गया था और आखिरकार पुलिस ने उसे ढूंढ कर ही दम लिया था|

# पिल्ले की तलाश में दौड़ी पुलिस

जयपुर

cityreporter.jaipur@patrika.com

चिकित्सा मंत्री के सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर 48 से विदेशी नस्ल के कुत्ते का पिल्ला लापता हो गया। बंगले पर तैनात संतरी ने इस आशय की रिपोर्ट सोढाला पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर बकायदा उसकी खोज शुरू कर दी।

इंसानों की गुमशुदगी के मामले में अक्सर लोगों को पहले खुद ढूंढने और इंतजार करने की नसीहत देकर टाल देने वाली पुलिस ने इस रपट को तुरत-फुरत में दर्ज ही नहीं किया, बल्कि पिल्ले की खोजबीन के काम पर एक सिपाही राजेश को लगा दिया। रपटकर्ता की ओर से दी गई फोटो को भी आसपास के थानों को भेज कर तलाश में मदद का संदेश जारी किया गया। घटना के बाद कुछ पुलिस अधिकारी भी बंगले पर पहुंचे। इस संबध में सोढाला पुलिस थाने से जब यह पूछा गया कि कुत्ता मंत्री का था या संतरी का तो पूरे मामले से अनभिज्ञता जाहिर करते जवाब

**दर्ज की गुमशुदगी**

- मंत्री के बंगले के बाहर से ले गया कोई

मिला कि कौनसा कुत्ता? हमको तो कोई शिकायत ही नहीं मिली। जबकि इससे थाने से ही बताया गया था कि श्रीमाधोपुर निवासी सुरेश कुमार ने पिल्ला खोने की शिकायत दी। इतना ही नहीं पुलिस ने बताया कि कुत्ते का 20 दिन का पिल्ला 5 दिन पहले ही मंत्री के बंगले पर लाया गया था। शनिवार सुबह बंगले पर तैनात संतरी सुरेश कुमार मुख्य गेट खोलकर बाहर आया था, तभी पीछे से पिल्ला बाहर निकल गया। पेड़-पौधों की ओट में वह दिखा नहीं। संतरी गेट बंद कर वापस बैठ गया। चार पांच घंटे बाद पिल्ला नहीं दिखा तो आसपास तलाश की गई। तब नजदीक के स्कूल के कर्मचारी ने बताया कि सुबह पिल्ला घूम रहा था। मार्निंग वॉक पर आए एक व्यक्ति ने उससे उसके बारे में पूछा भी। फिर वह व्यक्ति उसे अपने साथ ले गया।

पत्रिका Mon, 22 September 2014 epaper.patrika.com/c/37737827

## आमेर पुलिस की कोई पुख्ता कार्यवाही नहीं

मासूम बच्चे के लापता होने पर आमेर पुलिस द्वारा आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है,इस मामले में जिस जांच अधिकारी बद्री प्रसाद को नियुक्त किया गया था उसका भी अब तबादला हो चुका है|

पुलिस थाने में आम फरियादी के साथ किस तरह का बर्ताव होता है यह हम लोग अच्छी तरह जानते है फिर यह तो गरीब,अपाहिज और बेबस त्रिलोक चंद है,इसकी कौन सुनेगा?

## सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार थाने को करना पड़ेगा प्रक्रियाओं का पालन

सुप्रीम कोर्ट के बचपन बचाओं आन्दोलन बनाम भारत सरकार रिट पिटिशन ( सिविल) 75/2012 मामले में गायब बच्चों के सम्बन्ध में एक विस्तृत गाईडलाईन का पालन करने के निर्देश दिए थे,जिसके तहत किसी भी स्तर से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे|साथ ही इसकी सूचना स्पेशल जुविनायिल पुलिस यूनिट को करने के साथ बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भारत सरकार के पोर्टल www.trackthemmissingchild.gov.in पर करने के निर्देश पारित किये है साथ ही गुमशुदा बच्चे के बारे में विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हुए बच्चे की गुमशुदगी का इश्तेहार लगाए जाने का भी प्रावधान है|गुमशुदा बच्चों के परिजनों को कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ताओं की जानकारी भी प्रदान करने में सहायता करेगा|यदि बच्चा चार महीने के अंदर नहीं मिलता तो केस को Anti Human Trafficking Unit को ट्रान्सफर करने के प्रावधान है|

## बाल श्रम के मामले में राजस्थान के ख़राब हालात

प्रदेश में करीब 15 लाख बाल श्रमिक है इनमे से 3 लाख बच्चे पूर्णकालिक बाल श्रमिक हैएक आंकड़े के मुताबिक प्रदेश के पांच से चौदह साल के बच्चों में हर दसवां बच्चा बाल श्रमिक है|

ये सभी कारखानों,बस स्टैंड रेलवे स्टेशन,होटलों,ढाबो,पर काम करने से लेकर कचरा बीनने वाले बाल श्रमिक है|राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा चूड़ी कारखानों में छोटे बच्चों को देखा जा सकता है|कई बच्चे चौराहों पर भीख मांगते,गाडी साफ़ करते हुए भी देखे जा सकते है|

## आप भी कर सकते है सचिन को ढूंढने में मदद

सचिन को गायब हुए 40 दिन से ज्यादा हो गए है परन्तु अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है,हो सकता है कि वह जयपुर के किसी कारखाने में बाल-मजदूरी कर रहा हो या उसे राजस्थान से बाहर भेज दिया गया हो| मासूम सचिन के साथ पता नहीं कितने बच्चे, इन दरिंदों के पंजों में फंसे होंगे|परन्तु इस गंभीर मामले में आमेर पुलिस की तरफ से रत्ती भर भी कार्यवाही नहीं की गयी है और अभी तो पुलिस के पास जांच नहीं करने के लिए चुनावों में व्यस्त होने का बहाना भी है|

इसलिए इस मामले में अति आवश्यक है कि पुलिस पर इस मामले को सुलझाने के लिए आम जनता का दबाव बनाया जाए जिसके लिए आम जन का सहयोग अति आवश्यक है|अतः आप सब से अनुरोध है कि इस याचिका को शेयर करें साथ ही श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,राजस्थान सरकार को उनके आधिकारिक ई-मेल आईडी **dgp-rj@nic.in** पर अधिक से अधिक मेल करें|जिससे पुलिस हरकत में आये और यह मासूम सकुशल अपने घर आ जाए|